

**कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्य प्रदेश**  
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

**:: आदेश ::**

भोपाल, दिनांक 30.05.2015

क्रमांक / 80 / स्थापना-सेवा / 2015 निम्नलिखित उप पंजीयकों को समान सेवा शर्तों एवं निबंधनों पर तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर-4 में अंकित उप पंजीयक कार्यालय में आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

स.क्र.	उप पंजीयक का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री हरिसिंह चौहान	शुजालपुर, जिला शाजापुर	सारंगपुर, जिला राजगढ़	—
2	श्री विद्यासागर उईके	परासिया, जिला छिंदवाड़ा	लांजी, जिला बालाघाट	—
3	श्री देवेन्द्र जैन	सागर	खुरई, जिला सागर	—
4	श्री अमित कुमार जैन	खुरई, जिला सागर	सागर	—
5	श्री संजय सिंह	इंदौर क.-2	भोपाल क.-2	कार्यालयीन आदेश क्रमांक 61 / स्थापना सेवा / 2015, दिनांक 19.05.2015 के द्वारा उज्जैन की गई पदस्थापना में संशोधन।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

2. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाती है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।

निरंतर....2

3. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वार्न करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा। स्थानांतरित कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय सेवक यदि अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि स्वेच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइज नॉन" मानी जाएगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(दीपाली रस्तोगी)  
महानिरीक्षक पंजीयन  
मध्यप्रदेश

पृष्ठां० क्र० 269 /स्थापना-सेवा/2015

भोपाल, दिनांक 30.05.2015

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ
3. संभागायुक्त, ....., मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. जिलाध्यक्ष, ....., मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. परिक्षेत्रिय उप महानिरीक्षक पंजीयन ..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, ..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। स्थानांतरित अधिकारी को एक सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. स्थापना सामान्य शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित श्री ..... मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।



महानिरीक्षक पंजीयन  
मध्यप्रदेश